शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 40 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 23 – 30 सितम्बर 2024 मूल्य पांच रूपये

अवैध मस्जिद और अवैध प्रवासी मुद्दा कहीं सरकार के लिये घातक न हो जाये

शिमला/शैल। देवभूमि संघर्ष समिति अवैध मस्जिदों और अवैध प्रवासियों के खिलाफ उठे रोष पर उभरे आन्दोलन का नेतृत्व कर रही है। इस संघर्ष समिति ने प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन आयोजित किये हैं। अब यह चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत से 5 अक्तूबर को मस्जिद के खिलाफ फैसला नहीं आता है तो संघर्ष समिति जेल भरो आन्दोलन शुरू कर देगी। मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला लम्बे अरसे से अदालत में लम्बित चल रहा है। यह अवैध निर्माण यदि हुआ है तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की सरकारों के समय में हुआ है। मस्जिद में हुये अवैध निर्माण के साथ ही चार – पांच हजार और अवैध निर्माण होने का खुलासा शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य ने स्वयं किया है। मस्जिद सरकार की जमीन पर बनी है यह खुलासा सदन में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने रखा है। अवैध प्रवासियों और स्टेट वैण्डरस को लेकर कमेटी बना दी गयी है। इस कमेटी की कोई बैठक होने और उसमें कोई इस संबंध में फैसला होने की कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं आयी है। लेकिन ऐसी जानकारी के बिना मंत्री विक्रमादित्य सिंह का यह ब्यान आ गया है कि रेडी – फड़ी लगाने वालों को अपना नाम भी डिस्प्ले करना होगा। इस ब्यान का संज्ञान कांग्रेस हाईकमान ने भी लिया है और मंत्री को अपना ब्यान एक तरह से वापस लेना पड़ा। सरकार को भी अधिकारिक तौर पर यह कहना पड़ा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने विक्रमादित्य सिंह के ब्यान का समर्थन कर दिया है। इस तरह सुक्खू सरकार के तीन मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह और धनीराम शांडिल एक तरह देवभूमि संघर्ष समिति का समर्थन कर गये हैं। कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि पर्यटन विभाग को दिये जाने के खिलाफ खड़े हो गये हैं। इस तरह सुक्खू के चार मंत्री सरकार से अलग राय रखने वालों में गिने जाने लगे हैं। अवैध प्रवासी और मस्जिदों में अवैध निर्माण ऐसे मुद्दे बन गये हैं जिन पर कानूनी पक्ष कुछ और है तथा जन भावना कुछ अलग है। इस तरह इस समय जन भावना के दबाव में फैसला लेने का वातावरण बनाया जा रहा है। सरकार भी इन मुद्दों पर खामोश चल रही है अन्यथा दोनों मुद्दों पर समयबद्ध जांच बिठाकर इस समय उभरे तनाव के वातावरण को अलग मोड दे सकती थी। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। इसलिये अवैध निर्माण के मामले में सब मामलों पर कानून के मुताबिक ही कारवाई करनी होगी। इस समय प्रदेश के कई छोटे – बड़े नेता भवन निर्माण व्यवसाय से जुड़े हुये हैं। संभव है कि इनके निर्माण में भी कई कमियों को नजर अन्दाज कर दिया गया हो। इसलिये मस्जिदों में भी हो रहे अवैध निर्माण पर कारवाई करना आसान नहीं होगा। इसी तरह किसी भी भारतीय नागरिक को अवैध प्रवासी करार देना आसान नहीं है। हर आदमी की गतिविधियों पर नजर रखना कानून और व्यवस्था के तहत प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिये किसी प्रवासी को अवैध करार देना कानून के तहत आसान नहीं है। इस तरह अवैध मस्जिद और अवैध प्रवासियों के मुद्दे को जिस तरह एक गैर राजनीतिक संगठन देव भूमि संघर्ष समिति को सौंप दिया है और पूरे आन्दोलन को हिन्दू संगठन के रोष का नाम दिया गया है। उसके राजनीतिक उद्देश्य कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर पहला प्रदर्शन हुआ था उस समय भाजपा विधायक तक भी उसमें शामिल हो गये थे। संजौली में जो प्रदर्शन हुआ है और उसमें पुलिस को व्यवस्था बनाये रखने के लिए बल का भी प्रयोग करना पड़ा। उस प्रदर्शन में भाजपा संघर्ष के लोग भी शामिल

थे। जिनको चिन्हित करके उनके खिलाफ मामले बनाये गये हैं। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद भाजपा ने एक निर्देश जारी करके अपने हर स्तर के नेताओं को इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से रोक दिया है। इस तरह भाजपा रणनीतिक तौर पर इस आन्दोलन से सक्रिय तौर पर अलग हो गयी है। अब यह आन्दोलन हिन्दू संगठनों का ही विषय बन गया है। जिसका नेतृत्व देवभूमि संघर्ष समिति के हाथ में है। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह कांग्रेस के मंत्री न चाहते हुये भी भागीदार बन गये हैं वह आगे चलकर सरकार के लिये नुकसानदेह होगा। क्योंकि इस सरकार को बने हुये दो वर्ष हो रहे हैं। मस्जिद निर्माण और दूसरे निर्माण में अवैधता होना मंत्री स्वीकार कर रहे हैं। मस्जिद सरकार की जमीन पर है यह भी मंत्री ने सदन में कहा है। ऐसे में यह सवाल उठेगा ही की अवैधता के इन मामलों पर सरकार ने क्या कारवाई की है और अवैधता की जानकारी कब और कैसे हुई?

सोलन नगर निगम उप-चुनाव में भाजपा की जीत सरकार के खिलाफ जनता का रोष

शिमला/शैल। सोलन नगर निगम के वार्ड संख्या 5 के उप – चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमरदीप पांजा ने शानदार जीत प्राप्त की है। अमरदीप पांजा ने कुल 524 वोट प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी पुनीत नारंग को 240 वोट मिले। इस चुनाव में 2 वोट नोटा के लिए डाले गये। भाजपा की इस जीत को क्षेत्र में पार्टी के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। सोलन नगर निगम के इस उप – चुनाव में जनता ने भाजपा की नीतियों और विकास कार्यो पर मुहर लगाई है।

भाजपा प्रत्याशी अमरदीप पांजा की इस जीत पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी और इसे पार्टी की बड़ी उपलब्धि बताया।

बिंदल ने कहा भाजपा की यह शानदार जीत वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा फतवा है, हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस वार्ड ने घर घर जा रहे थे उसके बावजूद भी सरकार को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा को कांग्रेस से दो गुना से अधिक वोट प्राप्त हुए, यह सीधा सीधा जनता का वर्तमान सरकार के खिलाफ वोट है, सरकार की झूठी गारंटी, जनता पर बोझ के खिलाफ वोट है।

जयराम ठाकुर ने कहा की वर्तन सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है और उसके प्रति जनता का रोष इस मतदान में साफ दिखाई दे रहा है। सोलन में वार्ड नंबर 5 की जीत के लिए जनता का आभार एवं कार्यकर्ताओं को बधाई।

राज्यपाल ने 11वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन–2024 को हरी झंडी दिखाई

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ आयोजित 11वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन-2024 को हरी झंडी दिखाई।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस 11वीं हाफ मैराथन के माध्यम से समाज के हर वर्ग ने नशे के खिलाफ जो उत्साह दिखाया है, वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नशे की बुराई के संदेश के साथ इस दौड़ में बच्चों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों ने भी भाग लिया, जो प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह प्रयास नशा मुक्त हिमाचल के इस अभियान को घर-घर तक पहुंचाने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से नशे का खात्मा होगा और देवभूमि की गरिमा बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को इस तरह के जागरूकता अभियानों में भाग लेना चाहिए, तभी हम समाज से नशे को समाप्त कर पाएंगे। उन्होंने लोगों से हिमाचल को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने तथा नशे के खिलाफ हर अभियान में सहयोग देने का आहवान किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई।

पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए उन्हें 11वीं हाफ मैराथन के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर पुलिस विभाग तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने फागू में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में भाग लिया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ठियोग के फागू में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अन्तर्गत महिला पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूहों की 'दीदियों' से बातचीत करते हुए कहा कि सामूहिक भागीदारी से ही स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन सफलतापूर्वक 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक 'स्वच्छता ही सेवा' 2024 अभियान मनाया जाएगा। 'स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता' इस वर्ष का विषय है । उन्होंने कहा कि हमें इस विषय को आत्मसात करते हुए स्वच्छता को दैनिक जीवन और संस्कृति का अभिन्न अंग बनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत स्वच्छता लक्ष्य, स्वच्छता में जन भागीदारी और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर केन्द्र में रहेंगे। स्वच्छता अभियान, स्वच्छता में जन भागीदारी और सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य जांच और सफाई कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ से अवगत करवाना है।

राज्यपाल ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जन अभियान में लोगों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने में पंचायत प्रतिनिधि और महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। देवभूमि हिमाचल के युवाओं को नशे से बचाने के लिए महिलाओं को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

इस अवसर पर राज्यपाल ने पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।

राज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित स्वास्थ्य शिविर का शुभारम्भ भी किया। उन्होंने देवदार का पौधा रोपित कर वन विभाग के पौधरोपण अभियान का शुभारम्भ किया।

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने राज्यपाल को जिला में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। चर्चा के दौरान महिला प्रधानों तथा स्वयं सहायता समूहों की 'दीदियों' ने राज्यपाल को उनके द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों से अवगत कराया।

ठियोग उपमंडल की बन्नी, मखडोल, चियोग, देहना और शतियां पंचायतों के प्रतिनिधियों ने स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया।

पर्यावरण संरक्षण में प्रादेशिक सेना की अहम भूमिका: शिव प्रताप शुक्ल

शिमला/शैल। भारत की सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ भारतीय सेना आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य गतिविधियों में जिस उत्कृष्टता के साथ कार्य कर रही है उस पर हम सभी को गर्व है।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शिमला के निकट कुफरी में प्रादेशिक सेना के प्लेटिनम जयंती समारोह के अवसर पर सेना द्वारा किए गए कुफरी तालाब के पुनरूद्धार के लोकार्पण अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रादेशिक सेना राष्ट्र की सेवा के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली मना रहा है। अपने गठन से लेकर अभी तक प्रादेशिक सेना भारतीय सेना के एक अंग के रूप में उल्लेखनीय कार्य कर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रादेशिक सेना के अन्तर्गत 133 इन्फैंटरी बटालियन इको डोगरा एक अग्रणी बटालियन है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में पौधारोपण गतिविधियों के लिए पूरी तरह समर्पित है। हिमाचल प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने में बटालियन का महत्वपूर्ण योगदान है।

राज्यपाल ने कहा कि इस बटालियन की स्थापना 15 सितंबर, 2006 को कुफरी शिमला में की गई थी और इसे हिमाचल इको वॉरियर्स के नाम से जाना जाता है। यह राज्य से संबंधित पूर्व सैनिकों को पुन: रोजगार भी प्रदान करती है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रादेशिक सेना के प्लेटिनम जयंती समारोह के अवसर पर बटालियन ने 15 जुलाई से 17 सितंबर, 2024 तक 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 75,000 पौधे लगाए हैं। इसक अलावा समय-समय पर विभिन्न जन चेतना अभियानों जैसे पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव, स्वच्छता अभियान, वृहद वृक्षारोपण एवं विद्यार्थियों के लिए कार्यशालाओं के आयोजन किए गए हैं।

राज्यपाल ने कहा कि सेना ने आउटरीच कार्यक्रम के तहत 'जल ही जीवन है' को आदर्श वाक्य मानते हुए व जन सामान्य को इसके लिए जागृत करने के लिए कुफरी तालाब को गोद लिया था। इस बटालियन ने तालाब में पानी की बहाली, वर्षा जल संचयन, आस-पास के इलाकों की मरम्मत और नवीकरण करके तालाब के जीर्णोद्धार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो सराहनीय हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में जल स्रोतों के प्रति जन चेतना जागृत करने में भी बटालियन का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि कुफरी में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और यहां का ऐतिहासिक महत्व भी है। पर्यावरण यहां की पहचान है इसलिए इस क्षेत्र के हरित आवरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें सेना के प्रयासों में अपना योगदान देने की आवश्यकता है।

इससे पूर्व, प्रादेशिक सेना ग्रुप मुख्यालय पश्चिमी कमान के कमांडर ब्रिगेडियर गगनदीप सिंह बाथ ने राज्यपाल का स्वागत किया। 133 इन्फैंटरी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मोहन सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया। कुफरी के स्थानीय नागरिक ध्यान चंद ने कुफरी के ऐतिहासिक महत्व और तालाब के बारे में राज्यपाल को अवगत करवाया। कुफरी के पंचायत प्रधान इंद्र सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

स्टेशन कमांडर शिमला के ब्रिगेडियर नवदीप बराड़, जिला प्रशासन के अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर दिया बल

शिमला/शैल। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिंदी हमारी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत की पहचान है। उन्होंने कहा कि यह भाषा न केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि हमारे विचारों, मूल्यों एवं परंपराओं की वाहक भी है। उन्होंने राजभवन शिमला से वर्चुअली कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि हिंदी एवं स्थानीय बोलियों के माध्यम से ही देश में जागृति आई तथा राष्ट्र ने हिंदी को राजभाषा का सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता हिंदी को बढ़ावा देना तथा इसे आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा से जोड़कर आगे बढ़ाना होना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति एवं सिद्धांतों के कारण भावी पीढ़ी में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षा को और अधिक प्रभावी एवं समृद्ध बनाने की आवश्यकता है तथा हिंदी के प्रयोग को पूर्ण प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। उन्होंने देवनागरी लिपि को और अधिक प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया, क्योंकि देवनागरी देश की अन्य बोलियों का आधार है।

इससे पूर्व, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के कुलपति प्रो. राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ने राज्यपाल का स्वागत किया और हिंदी पखवाड़े के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

धर्मशाला में आयोजित होगी राज्य स्तरीय स्पोर्टस मीट

13 टीमों के 800 प्रतिभागी दिखाएंगे दमखम

शिमला/शैल। प्रधान मुख्य अरॉयपाल एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हॉफ पवनेश शर्मा ने कहा कि 29 सिंतबर से 1 अक्तूबर, 2024 तक 25वीं राज्य स्तरीय स्पोर्टस व डयूटी मीट कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आयोजित होगी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार स्पोर्टस मीट का शुभारंभ करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस मीट में खेल प्रतियोगिता में डायरेक्शन कार्यालय, वन्य प्राणी विंग, प्रांतीय वृत्तों और वन विकास निगम की 13 टीमों के 800 प्रतिभागी अपना हुनर दिखाएंगे, जो खेलभावना को प्रोत्साहित करने और अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन जीने का संदेश भी देंगे।

उन्होंने कहा कि वॉलीवाल, कबड्डी, बास्केटबॉल के साथ-साथ एथलैटिक्स जैसी व्यक्तिगत स्पर्धाएं भी करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देशानुसार स्पोर्टस मीट में ट्रैकिंग और मिनी मैराथन के दो नए इवेंट भी करवाए जाएंगे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के मामलों को जल्द से जल्द स्वीकृति मिले ताकि प्रदेश की कई लंबित महत्वाकांक्षी विकासात्मक परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन हो सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की बदौलत ही केंद्र सरकार ने जनहित से जुड़ी विभिन्न 66 परियोजनाओं को एफसीए क्लीयरेंस प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधोसंरचना, शिक्षा और पेयजल आपूर्ति से संबंधित हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने केंद्र से 77 सैद्धांतिक स्वीकृतियां भी सुनिश्चित की हैं जिनमें शोंगटोंग, थाना पलाऊं विद्युत परियोजना, कई शैक्षणिक संस्थान, हेलीपोर्ट, पेयजल आपूर्ति और सड़क अधोसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं जिससे प्रदेश की तरक्की और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से मामले वर्षों से लंबित थे लेकिन अब प्रदेश सरकार की लगातार कोशिशों से इन्हें गति मिल रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एफसीए और एफआरए मामलों की निगरानी के लिए उपायुक्तों, मंडलीय वन अधिकरियों और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है।

मामलों की विस्तृत जानकारी ऑनलाइन अपलोड किए जाने के साथ ही लगातार इनकी ऑनलाइन निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। बेहतर समन्वय स्थापित करने व मामलों के निरीक्षण और केंद्र सरकार के साथ मेलजोल बनाने के लिए भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ व समर्पित अधिकारी तैनात किए गए हैं जिनका प्राथमिक कार्य केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर ऐसे मामलों का तीव्रता से निपटारा करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 70 फीसदी वन क्षेत्र है और जनहित परियोजनाओं के लिए वन भूमि बेहद अनिवार्य है। इसलिए इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त करना राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के कारण परियोजनाओं को शुरू करने में विलंब हो जाता है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने वन मंजूरी के मामलों में तेजी लाने के उद्देश्य से एक तंत्र विकसित किया है जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृतियों की दर में सुधार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी के तहत वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में वन क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए विभिन्न वानिकी योजनाएं शुरू की हैं।

प्रदेश में उद्योगों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई जा रही है बिजलीः मुख्यमंत्री

औद्योगिक विकास के लिए निरंतर सहयोग किया जाएगा सुनिश्चित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत उद्योग मित्र नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी का युक्तिकरण किया गया है और पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य के उद्योगों को सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 33 केवी से 220 केवी तक की वोल्टेज आपूर्ति वाले बड़े उद्योगों को पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की तुलना में एक रुपये प्रति यूनिट से अधिक सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। इससे यह प्रमाणित होता हैं कि हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को अभी भी पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती बिजली का लाभ मिल रहा है। राज्य में केवल 159 उद्योग हैं जिनकी आपूर्ति वोल्टेज 33 केवी से 220 केवी तक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 33 केवी से 220 केवी तक वोल्टेज आपूर्ति के बड़े उद्योगों के अलावा, राज्य में 11 केवी और 22 केवी की वोल्टेज आपूर्ति वाले 2,011 उद्योग हैं। इन उद्योगों के लिए भी पड़ोसी राज्यों की तुलना में एक रुपये प्रति यूनिट से अधिक सस्ती दरों पर बिजली दी जा रही है। इन उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार ने विद्युत शुल्क को 16.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विशेष रूप से 31,298 छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन उद्योगों के लिए सब्सिडी और ऊर्जा शुल्क में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्युत सब्सिडी के युक्तिकरण से प्रदेश के उद्योगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन उद्योगों से प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है और प्रदेश इनके निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही हैं और उद्योग मित्र नीतियां सुनिश्चित की जा रही हैं।

अध्यापक परिवर्तन लाने में निभाता है महत्वपूर्ण भूमिकाः राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। शिक्षण एक बहुत ही उत्तम कार्य है और अध्यापक बनना गौरव की बात है। नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने विजय मैमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बड़सु बगला में 19वें स्थापना दिवस समारोह नवरंग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि केवल नौकरी के लिए अध्यापक बनना यह भावना हम में नहीं होनी चाहिए क्योंकि अध्यापक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों को शिक्षित करना और उन्हें सही दिशा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि सही तरीके से अर्थ पूर्ण लक्ष्य के लिए अध्यापन कार्य करना अपने आप में ही बहुत बड़ा कार्य है।

उन्होंने कहा कि हमें युवा वर्ग को कार्य से जोड़ना होगा और वर्किंग एज ग्रुप के युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार अपनाने की दिशा में प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर तैयार करने के उद्देश्य से बाजार मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दे रही है। तकनीकी महाविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक व भविष्योन्मुखी कोर्स आरंभ किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में ए आई का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में हमें अपना स्थान बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक स्किल सैनपॉवर तैयार करनी होगी तभी हम अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे।

उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश क्वालिटी एजुकेशन के मामले में 21वें स्थान पर है और अच्छे संस्थान बनाने से ही हम युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, जिसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार लाने में प्रशिक्षित अध्यापकों का मुख्य योगदान है। ऐसे में प्रदेश सरकार अध्यापकों के प्रशिक्षण को और अधिक परिणामोन्मुखी बनाने के लिए जिला स्तर पर डाइट तथा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च के नियमों में बदलाव लाकर इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठा रही है।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा भविष्य में अध्यापक देश को विकसित बनाने के लिए सबसे बड़ा टूल होगा। इसलिए युवा अध्यापकों को स्किल के साथ जोड़ना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि वह युवा अध्यापक भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे और अपने आप को इस तरह से तैयार करे की देश प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दे सके।

उन्होंने कहा कि अध्यापकों के हित में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने यूजीसी स्केल लागू कर अध्यापकों का मान-सम्मान बढ़ाया है और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब कंप्यूटर देश में लाया था तो उसका विरोध किया गया था, लेकिन आज उसके सुपरिणाम हमारे सामने हैं। जिन्होने स्वर्गीय राजीव गांधी के निर्णय को आज सही साबित किया हैं। देश को आईटी सेक्टर का सबसे अधिक लाभ हुआ हैं।

उन्होंने इस मौके पर कालेज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी कियाइस अवसर पर उन्होंने कॉलेज परिसर में पौध रोपण किया और कॉलेज में नवनिर्मित कंप्यूटर लैब का उद्घाटन भी किया।

विक्रमादित्य सिंह ने भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से भेंट की

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह नई दिल्ली में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार से भेंट की। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उत्तर रेलवे से स्वीकृति मिलने में हो रहे विलम्ब के कारण हिमाचल प्रदेश विधानसभा जंक्शन पर फ्लाईओवर तथा विक्ट्री टनल के साथ पुल के निर्माण कार्य में हो रही देरी से अवगत करवाया। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी से इस संबंध में शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि यह शहर के मुख्य सड़क मार्ग हैं और शिमला में यातायात को सुचारू बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए भी इस दिशा में कार्य करना अति आवश्यक है।

लोक निर्माण मंत्री ने प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार, विशेषकर भानुपली-बिलासपुर रेलवे लाइन के बारे में भी चर्चा की।

सतीश कुमार ने लोक निर्माण मंत्री के आग्रह पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्य आरम्भ करने और संबंधित बाधाओं का समाधान के निर्देश दिए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि भानुपली-बिलासपुर रेल लाइन का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि रेल लाइन का निर्बाध कार्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार से सहयोग अपेक्षित है।

विक्रमादित्य सिंह ने अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अप्रैल माह से लम्बित पड़े कार्य को आरम्भ करने के निर्देश देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समय पर स्वीकृति न मिलने से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित किए जा रहे निर्माण कार्य बाधित हो रहे थे।

प्रदेश के कर्मचारियों को पहली तारीख को मिलेगा वेतन

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा सरकारी कोषागार में होने वाले 'नकदी के प्रवाह' की समीक्षा करने के पश्चात् निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को सितम्बर माह का वेतन 1 अक्तूबर तथा पेंशन का भुगतान 9 अक्तूबर, 2024 को किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पिछले माह प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन 5 सिंतबर व पेंशनरों को 10 सितम्बर 2024 को पेंशन का भुगतान किया गया था। प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीकों से उपयोग करने की दिशा में यह कदम उठाया गया था। इस दिशा में राज्य सरकार को होने वाली प्राप्तियों और खर्चे में असंतुलन को कम करके यह प्रयास किया जा रहा है कि ऋण राशि सही समय पर ली जाए, जिससे ऋण पर दिये जाने वाले ब्याज पर कम से कम खर्च हो।

प्रवक्ता ने कहा कि 4 सितम्बर, 2024 को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्पष्ट किया था कि सितम्बर महीने के वेतन के लिए वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद 28 या 29 सितम्बर को इस पर फिर से निर्णय लिया जाएगा क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है तथा मासिक किश्त पहली तारीख को अदा करनी पड़ती है।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जन जागरूकता अभियान आयोजित करेगा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एचपीएसडीएमए द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आईडीडीआर के अवसर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण 'समर्थ' पर वार्षिक जन जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के 14वें संस्करण का आयोजन प्रथम अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2024 तक किया जाएगा।

यह जानकारी निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व-आपदा प्रबन्धन डीसी राणा ने दी। उन्होंने कहा कि शिमला के रिज में भूस्खलन न्यूनीकरण, सुरक्षित निर्माण, पारंपरिक भवन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, एसडीआरएफ उपकरण, एनडीआरएफ उपकरण, अग्निशमन उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा आदि जैसे विषयों पर विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा, जागरूकता अभियान के तहत राज्य और जिला स्तर पर कार्यशालाएं, नुक्कड़ नाटक और स्कूली छात्रों की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 2 अक्तूबर, 2024 को ग्राम सभा की बैठक के दौरान पंचायत स्तर पर भी आपदा न्यूनीकरण से संबंधित विषयों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस अवसर पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों और गैर सरकारी संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान उच्च विद्यालय, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर तीन अलग-अलग श्रेणियों में सुरक्षित निर्माण मॉडल तैयार करने के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।

साफ़–सुथरा, स्वच्छ और सम्मानित जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती।
..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

भाजपा और कांग्रेस दोनों के केंद्रीय नेतृत्व की परीक्षा होंगे यह चुनाव परिणाम

हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं इन चुनावों के परिणाम देश की राजनीति पर गंभीर प्रभाव डालेंगे यह तय है। क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और केन्द्र शासित प्रदेश बनाने के लम्बे समय बाद शीर्ष अदालत के निर्देशों की अनुपालना करते हुये यह चुनाव हो रहे हैं। जम्मू–कश्मीर में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है। मुस्लिम समुदाय के प्रति भाजपा का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या और कैसा है इसका पता इसी से चल जाता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने शायद एक भी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था और केंद्रीय मंत्री परिषद में इस समुदाय से कोई भी मंत्री नहीं है। इसी दौरान प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के बाद पूरे देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर जो वातावरण उभरा है उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि में जम्मू–कश्मीर के विधानसभा चुनाव परिणामों का देश की राजनीति पर एक दूरगामी प्रभाव पढ़ना निश्चित है। इसी तरह हरियाणा में तीन कृषि कानूनों का आना और किसान आन्दोलन के बाद उनका वापस लिया जाना तथा अब फिर उन कृषि कानूनों को भाजपा सांसद कंगना रणौत द्वारा लागू किये जाने की मांग के साथ ही हरियाणा का चुनावी परिदृश्य रोचक हो गया है। दोनों प्रदेशों में चुनाव प्रचार के केन्द्रीय ध्रुव प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं।

भाजपा और संघ के रिश्ते न चाहते हुये भी पिछले लोकसभा चुनावों से जन चर्चा का विषय बन गये हैं। इन्हें जन चर्चा में लाने के लिये भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का वह ब्यान जिम्मेदार है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा को संघ के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। तब यह उम्मीद थी की राम मंदिर की पृष्ठभूमि में भाजपा अकेले ही चुनावों में चार सौ का आंकड़ा छू लेगी। लेकिन चुनाव परिणामों ने सारा परिदृश्य ही बदल दिया। भाजपा अकेले सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं ला पायी। अब भाजपा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में ही उलझ गयी है। इसमें भाजपा और संघ का टकराव न चाहते हुये भी सार्वजनिक चर्चा में आ गया है। ऐसे में इन दो राज्यों में हो रहे चुनाव प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिये अपने को प्रमाणित करने का अवसर बन गये हैं कि उनके बिना भाजपा का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इन दोनों राज्यों में भाजपा को केवल कांग्रेस से ही चुनौती है। इस चुनौती में कांग्रेस की राज्य सरकारों की परफॉरमैन्स को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ही बड़ा मुद्दा बनाकर उछाल रहे हैं।

हिमाचल के वित्तीय संकट के परिदृश्य में कांग्रेस द्वारा चुनावों में दी गयी गारंटीयां और प्रदेश सरकार द्वारा लिये जा रहे फैसले स्वत: ही व्यवहारिक अविश्वसनीयता का शिकार होते जा रहे हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के अपने खिलाफ जांच के आदेश हो चुके हैं। मामला गंभीर है। लेकिन इसी बीच कर्नाटक की ही एक अदालत चुनावी बाण्डज़ प्रकरण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, कर्नाटक भाजपा के नेता और ई डी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से जो स्थिति निर्मित हुई है उसका वांच्छित राजनीतिक लाभ मिल पाना इतना आसान नहीं होगा। भले ही यह एफ आई आर पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजर कर हुई है और यह राष्ट्रीय स्तर पर एक समय इसके मायने बहुत गंभीर हो जायेंगे यह भी तय है। लेकिन यह एफ आई आर मुख्यमंत्री के अपने खिलाफ आये जांच आदेशों के बाद हुई है। इसलिये तात्कालिक रूप से इसका चुनावी परिदृश्य पर कोई बड़ा असर पढ़ने की संभावनाएं बहुत कम हैं। इस परिदृश्य में इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व पर ज्यादा प्रभाव डालेंगे। कांग्रेस शासित राज्य सरकारों की परफॉरमैन्स का यदि केंद्रीय नेतृत्व कड़ा संज्ञान लेकर कोई कारवाई नहीं करता है तो उसका असर इसके बाद आने वाले राज्यों के चुनावों पर पड़ेगा।

अपने आप में अद्भुत है धर्म के प्रति सत्ता का भारतीय दृष्टिकोण

गौतम चौधरी

भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वैसे दुनिया के अधिकतर देश लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात किए हुए है लेकिन भारत उन तमाम मुल्कों से भिन्न है। यहां के लोकतंत्र की सराहना दुनियाभर में होती है। यदि दुनिया के प्रभावशाली लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम सबसे उपर है। अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में ही यह कहा गया है कि वह दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए दृतसंकल्पित है। बावजूद इसके अमेरिका में आबतक ईसाई छोड़ कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं चुना गया। दुनिया के तमाम ईसाई बाहुल्य देशों में ऐसी ही व्यवस्था है। वहां किसी गैर ईसाई को राजनीतिक या प्रशासनिक शीर्ष पर पहुंचना आज भी नामुमकिन है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में वह वहां पहुंच भी गया तो उसका टिकना आसान नहीं है। इसके कई उदाहरण हैं। उसी प्रकार मुस्लिम देशों में भी गैर–इस्लामिक व्यक्ति को सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंचने दिया जाता है। अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य देशों के संविधान में यह बात दर्ज है। दुनिया के एक मात्र देश भारत ही है, जहां सत्ता धर्म की परीधि से बाहर है। यह सत्ता पर धर्म का प्रभाव नाम मात्र का है। हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि सत्ता पर धर्म हावी हो गया है लेकिन बार–बार भारत का लोकतांत्रिक मूल्य इस महान लड़ाई को जीतता आ रहा है।

धर्मनिरपेक्षता के के मामले में भारत का दृष्टिकोण दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों से अलग है, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाता है। भारत में एक विविध धार्मिक परिदृश्य साफ तौर पर दिखाई देता है। यह भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से दिखता है। भारत का संविधान धर्म और राजसत्ता को अलग–अलग करके परिभाषित करता है। भारत की सत्ता में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे मामले हैं, जिसमें समाज के परंपरा का आदर करना स्वाभाविक हो जाता है। संविधान में एक जगह यह भी कहा गया है कि ''परंपरा विधि का बल है'', इस दृष्टि से समय–समय पर परंपरा के हित को लेकर बाते उठती रहती है और इसके लिए कभी–कभी सत्ता को परंपरा के सामने झुकना पड़ता है लेकिन अमूमन सत्ता और धर्म आपस में तालमेल बिठाकर ही काम करते हैं। पाकिस्तान या किसी अन्य पड़ोसी देश की तरह भारत में सत्ता पर धर्म हावी नहीं है।

भारत की धर्मनिरपेक्षता उसके ऐतिहासिक संदर्भ में निहित है। जहां धार्मिक बहुलवाद लबे समय से राष्ट्र की एक परिभाषित विशेषता रही है। यह देश हिंदू सहित विभिन्न प्रकार के धार्मिक समुदायों का घर है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और कई अन्य मान्यता के लोग यहां निवास करते हैं। इस बहुलवाद ने एक अलग तरह की धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता पैदा कर दी है, जो धर्म और राज्य के बीच कठोर अलगाव पर जोर नहीं देती है, बल्कि सभी धर्मो के लिए समान सम्मान और व्यवहार का लक्ष्य रखती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, जो गैर–स्थापना के सिद्धांत का पालन करता है, भारत में धर्म और राज्य के बीच अलगाव की दीवार नहीं है। इसके बजाय, राज्य सभी धर्मो के प्रति तटस्थता और समान व्यवहार का भाव रखता है। धर्मनिरपेक्षता के इस म डल की अक्सर प्रशंसा की गई है क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र में सभी धार्मिक समुदायों को शामिल करने की अनुमति देता है। यह म डल, विभिन्न समूहों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है।

भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यह धार्मिक मामलों में एक निश्चित स्तर के राज्य के हस्तक्षेप की भी अनुमति देता है। यह कई प्रावधानों में राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था के हित में कुछ कालबाह्य धार्मिक प्रथाओं को विनियमित या प्रतिबंधित करने की भी अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है लेकिन राज्य और जन के हित में कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देता है। इसके अलावा, भारतीय राज्य धार्मिक संस्थानों के प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाता है। धार्मिक बंदोबस्त, मंदिरों और तीर्थ स्थलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में अक्सर राज्य की निगरानी के प्रावधान शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में हिंदू मंदिरों का प्रबंधन राजसत्ता के हाथ में है। यही नहीं अब तो कई राज्यों में इस मामले को लेकर सहकारी समितियां, धार्मिक न्यास या फिर बोर्ड निगम भी बना दी गयी है। यह दृष्टिकोण सामाजिक सुधार और सार्वजनिक कल्याण की आवश्यकता के साथ धार्मिक स्वतंत्रता को संतुलित करने के भारत के प्रयास को दर्शाता है।

धर्मनिरपेक्ष भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्राप्त अधिकारों की तुलना पड़ोसी धर्म–आधारित राज्यों के साथ करने पर, स्पष्ट भेद दिखता है। भारत, अपनी चुनौतियों के बावजूद, धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के तहत समान व्यवहार की संवैधानिक गारंटी प्रदान करता है। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने, अपने पूजा स्थलों का प्रबंधन करने और अपने धार्मिक रीति–रिवाजों का पालन करने का अधिकार है। इसपर राज्य का नियंत्रण नाममात्र को होता है। ऐसे मामलों में सरकार सहयोगी की भूमिका निभाती है। इसके विपरीत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश, जो मुख्य रूप से मुस्लिम हैं और वहां का यह राज्य धर्म है, अक्सर अल्पसंख्यकों की धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई और अहमदी जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक कानूनी और सामाजिक भेदभाव का लगातार शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जिसके तहत इस्लामी मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के आरोपियों को मौत सहित गंभीर दंड का प्रावधान है।

विशेष रूप से अहमदियों को संवैधानिक रूप से गैर–मुस्लिम घोषित किया गया है और उन्हें खुद को मुस्लिम कहने या खुले तौर पर अपने विश्वास का पालन करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह, बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों निशाना बनाया जा रहा है, जबकि संविधान ने शुरू में धर्मनिरपेक्षता की घोषणा की गयी थी। बाद में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया गया। हालाँकि हिंदू और ईसाई जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों को कुछ संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है, फिर भी उन्हें अक्सर सामाजिक भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, निहित संपत्ति अधिनियम का उपयोग ऐतिहासिक रूप से हिंदू स्वामित्व वाली संपत्ति को जब्त करने के लिए किया जाता है। इस कानून के कारण बांग्लादेशी हिन्दू आर्थिक दृष्टि से हाशिए पर ढ़केले जा रहे हैं। इस ममले में भारत का म डल बेहतर है। हालांकि इस म डल में भी थोड़ी खामी है लेकिन अन्य की अपेक्षा तो यह बेहतर है। भारत, अपने पड़ोसियों के साथ विरोधाभास चिंतन के मध्य अपने क्षेत्र में धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए रखने की चुनौतियों और जटिलताओं का सामना कर रहा है। उन देशों में धर्म अक्सर राष्ट्रीय पहचान में केंद्रीय भूमिका निभाता है, जबकि भारत में ऐसी कोई बात नहीं है।

भारत के इस सफर में यहां की न्यायपालिका ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। भारत की न्यायपालिका ने धर्म और राज्य के बीच जटिल संबंधों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ऐतिहासिक एसआर बोम्मैव वाले मामले में वर्ष 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की पुष्टि करते हुए फैसला सुनाया कि ''धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इसे संसदीय संशोधनों द्वारा नहीं बदला जा सकता है।'' न्यायपालिका ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अनूठी प्रकृति को भी मान्यता दी है, जो धर्म को सार्वजनिक क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर नहीं करती है।

धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारत का दृष्टिकोण धार्मिक विविधता का सम्मान करना, एक तटस्थ व गैर–धार्मिक राज्य बनाए रखने के लिए संतुलन बनाना है। जैसे–जैसे भारत एक लोकतंत्र के रूप में विकसित हो रहा है, धर्म और राज्य के बीच उचित संबंध पर बहस जारी है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय म डल, हालांकि अपूर्ण है, लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर अपनी विशाल धार्मिक विविधता के प्रबंधन के लिए देश की प्रतिबद्धता प्रमाण बना हुआ है। भारत की धर्मनिरपेक्षता का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इन जटिल गतिशीलता से कैसे निपटता है, यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सभी धर्मो के साथ समान सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।

मंडी जिला में दोगुना हुआ मिल्क फेड का दुग्ध प्रापण

16 हजार दुग्ध उत्पादकों की मासिक आय में ढाई से तीन करोड़ रुपए की बढ़ौतरी

शिमला। ग्रामीण स्तर पर कृषि तथा दुग्ध उत्पादन पर आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण की प्रदेश सरकार की परिकल्पना अब मूर्तरूप लेने लगी है। दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के सरकार के निर्णय का ही सुपरिणाम है कि मंडी जिला में गत वर्ष की तुलना में राज्य दुग्ध प्रसंघ के तहत दुग्ध प्रापण में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है।

हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की चक्कर इकाई में दुग्ध उत्पादकों से दूध प्रापण में इस वर्ष रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023 – 24 में जहां इकाई ने विभिन्न दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से जुलाई माह में 10,25,487 किलो दूध प्राप्त किया, वहीं वित्त वर्ष 2024 – 25 के जुलाई माह में यह 20,79,678 किलो दर्ज किया गया। इसी वर्ष के अगस्त माह में दुग्ध प्रापण का आंकड़ा 21,56,935 किलो रहा। विशेष बात यह कि सितंबर माह में इकाई ने रिकॉर्ड 91 हजार किलो दूध एक ही दिन में प्राप्त किया। चक्कर इकाई के लिए यह एक दिन में दूध खरीद का सर्वकालिक श्रेष्ठ आंकड़ा है।

प्रदेश सरकार द्वारा गत अप्रैल माह से दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ौतरी की गई है। इसके तहत गाय के दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का मूल्य बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार दूध खरीद के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। सरकार के इन फैसलों का ही नतीजा है कि दुग्ध उत्पादन की ओर लोगों का रुझान फिर से बढ़ा है और बड़ी संख्या में वे दुग्ध प्रसंघ के माध्यम से दूध की बिक्री के लिए आगे आ रहे हैं।

दूध खरीद मूल्यों में बढ़ौतरी का लाभ मिल्क फैड की चक्कर इकाई से जुड़े लगभग 16 हजार से अधिक दुग्ध उत्पादकों को भी प्राप्त हुआ है। चक्कर इकाई के तहत वर्तमान में 216 दुग्ध सहकारी समितियां जुड़ी हुई हैं। प्रापण केंद्रों के माध्यम से इन समितियों से दूध प्राप्त कर चक्कर संयंत्र में लाया जाता है। सरकार के इस निर्णय से चक्कर इकाई तहत लगभग 16 हजार दुग्ध उत्पादकों को लगभग ढाई से तीन करोड़ रुपए मासिक अतिरिक्त आय सुनिश्चित हुई है।

बल्ह क्षेत्र की भडयाल पंचायत की सावित्री देवी का कहना है कि दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी से उनकी आर्थिकी में सुधार आया है। इससे परिवार के खर्चे पूरा करना आसान हुआ है। भडयाल की ही सुनीता वालिया, मीना व पूजा वालिया ने इस निर्णय की सराहना करते हुए प्रदेश सरकार और विशेषतौर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्ति किया है। कांढी तारापुर की वंदना व मनोरमा, द्रंग क्षेत्र के कुन्नू से सेवक राम तथा तुंगल क्षेत्र के भरगांव की निशा व लता देवी ने भी इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन एवं सहायक क्षेत्रों में एकीकृत विकास से किसान परिवारों की आय में निश्चित वृद्धि की पहल की गई है। मंडी जिला में सरकार की ओर से लिए गए जन कल्याणकारी निर्णयों व इससे होने वाले लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल

शिमला। राज्य के किसानों व बागवानों के समग्र विकास एवं समृद्धि के लिए खेती की लागत को कम करने, आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को व्यापक प्रोत्साहन दे रही है। मानव एवं पर्यावरण पर रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाव एवं पर्यावरण व बदलते जलवायु परिवेश के समरूप कृषि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शुरू की गई इस योजना के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

हिमाचल सरकार ने दस वर्षो में प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'आत्मनिर्भर हिमाचल' की परिकल्पना की है। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष बजट में प्राकृतिक खेती से रोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट – अप योजना के तीसरे चरण में एक नई योजना 'राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट – अप योजना' की शुरूआत की है, जिसमें किसानों को जोड़ा जाएगा। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदने और पूरे देश में गेहूं व मक्का के लिए सबसे अधिक 40 और 30 रुपये का समर्थन मूल्य तय किया गया है तथा इसके तहत प्रत्येक प्राकृतिक खेती किसान परिवार से 20 क्विंटल तक अनाज खरीदा जाएगा। इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बाजार मुहैया करवाने और उनके विपणन के लिए इस वर्ष 10 नए किसान – उत्पादक संघ बनाए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल इस क्षेत्र में म डल राज्य के रूप में उभरा है तथा अन्य राज्य भी प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं।

हिम – उन्नति योजना को राज्य में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रासायन मुक्त उत्पादन और विपणन करना है। इस योजना में लगभग 50,000 किसानों को शामिल करने के अलावा, 2,600 कृषि समूह स्थापित जाएंगे। राज्य सरकार डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है।

प्राकृतिक खेती योजना के अधीन किसान – बागवानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वे अनाज, फल, सब्जी को स्थानीय बाजारों में बेच रहे हैं। विपणन के लिए बेहतर बाजार व्यवस्था की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

स्वयं सहायता समूह से जुड़कर शुरू किया फास्ट फूड उद्यम

हर माह कर रही 20 हजार रुपए की कमाई

शिमला। थोड़ा सा उत्साह, अपनों का साथ और सरकार का मदद वाला हाथ। इन तीनों ने उर्मिला को सामान्य गृहिणी से एक उद्यमी के रूप में स्थापित होने तथा आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है।

ग्राम पंचायत भडयाल की उर्मिला की जिंदगी कुछ साल पहले तक एक गृहिणी के रूप में ही बीत रही थी। बच्चों का लालन – पालन, घर – गृहस्थी संभालने में उनके दिन गुज़र रहे थे। इसी बीच वह बाला कामेश्वर स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं और इसके बाद ही उनके हौसले भी परवान चढ़ने लगे। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्राप्त हुई। महिलाओं को घर बैठे स्वरोजगार की दिशा दिखाने में यह समूह उपयोगी भूमिका निभा रहे हैं, इसका अहसास अब उर्मिला को बखूबी हो चुका था।

उर्मिला ने बताया कि उनके पति गोपाल सिंह निजी क्षेत्र में मोटर मैकेनिक का कार्य करते हैं। पति का हाथ बंटाने के लिए उन्होंने पहले कपड़ों का व्यापार शुरू किया, मगर ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण उसमें ज्यादा लाभ नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम पहले 50 हजार रुपए तथा बाद में एक लाख रुपए का ऋण लिया और फास्ट फूड का व्यवसाय शुरू किया। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) के तहत भी 40 हजार रुपए की ऋण राशि प्राप्त हुई है। भडयाल बाजार में जालपा फास्ट फूड के नाम से शुरू किया गया उनका व्यवसाय अब अच्छे से चल निकला है। बकौल उर्मिला इससे उन्हें प्रतिमाह 20 हजार रुपए से अधिक की शुद्ध आय हो जाती है।

उन्होंने बताया कि इस उद्यम को शुरू करने में उनके पति का निरंतर प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। अब वे इसे विस्तार देने पर भी विचार कर रहे हैं। परिवार की आय बढ़ने से अब अपने दो बच्चों की शिक्षा व अन्य जरूरतें पूरी करने में वह सक्षम हुई हैं। उर्मिला ने बताया कि सरकार की इस तरह की योजनाओं एवं प्रोत्साहन से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वरोजगार व स्वावलंबन की ओर अग्रसर हुई हैं। स्वयं सहायता समूह से ऋण राशि एक प्रतिशत की न्यूनतम दर पर प्राप्त होने से उनकी आर्थिक चिंता कुछ कम हुई और वे यह व्यवसाय शुरू कर पाई हैं।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट मोबलाइजेशन के तहत वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023 – 24 में जिला में इसके तहत लगभग 29 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि वितरित कर 1257 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किए गए। वित्त वर्ष 2024 – 25 की प्रथम तिमाही में दो करोड़ 51 लाख रुपए की राशि वितरित कर 95 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न उद्यमों के लिए ऋण राशि वितरित की गई है।

नशे की समस्या से निपटने के लिए जल्द ही 'नशा मुक्त हिमाचल अभियान' शुरू किया जाएगा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। नशे की समस्या से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार 'नशा मुक्त हिमाचल अभियान' शुरू करने जा रही है। यह एक राज्यव्यापी अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस समस्या से निपटना है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इस अभियान में नशे की रोकथाम, नशा करने वालों की शीघ्र पहचान और नशे की लत से पीड़ित लोगों को समाज में वापस लाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए त्रि-स्तरीय रणनीति बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नशे की समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह समस्या हमारे समाज के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक कल्याण को प्रभावित करती है। हमारा प्रमुख उद्देश्य भावी पीढ़ियों को नशे के दलदल में फंसने से बचाना और अपने नागरिकों को नशे के विनाशकारी प्रभावों से बचाना है, ताकि राज्य का दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे की आपूर्ति को तुरंत नियंत्रित करने और इसकी मांग को कम करने के लिए उचित रणनीतियों और हस्तक्षेपों पर काम कर रही है। 'नशा मुक्त हिमाचल अभियान' में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, ग्रामीण विकास, युवा सेवा एवं खेल तथा सूचना एवं जन संपर्क जैसे विभिन्न सरकारी विभागों सहित सभी प्रमुख हितधारकों को शामिल किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, युवक मंडल, महिला मंडल और गैर सरकारी संगठनों सहित स्थानीय निकाय इस अभियान के दौरान लोगों में नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने में जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों, राज्य की राजधानी, शैक्षणिक संस्थानों और नगर निगमों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अभियान में जमीनी जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ व्यापक प्रचार के लिए सोशल मीडिया को भी शामिल किया जाएगा। प्रदेश सरकार पुनर्वास प्रयासों का समर्थन करने के लिए सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नशे की समस्या का समाधान करने के लिए परामर्श केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इन स्वास्थ्य केंद्रों में 5-10 बिस्तरों की क्षमता के साथ-साथ नैदानिक परीक्षण और संबंधित बीमारियों के उपचार की सुविधाएं भी होंगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार नशे की लत में संलिप्त लोगों के पुनर्वास में अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे को भी उन्नत कर रही है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों को रोकने पर विशेष बल दिया जा रहा है और इस अभियान को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश पंप स्टोरेज परियोजनाओं के निर्माण के लिए वरदान:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं पीएसपी के तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय लिया है। ये परियोजनाएं सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली आपूर्ति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पहली दो ऐसी परियोजनाओं, सिरमौर जिला की 1630 मेगावाट की रेणुका जी पंप स्टोरेज परियोजना और मंडी जिला के ब्यास बेसिन में 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए आदर्श राज्य है। प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए वरदान हैं। ये परियोजनाएं ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करेगी, क्योंकि इनमें टर्बाइनों के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए संग्रहित पानी से बिजली का उत्पादन करके निर्बाध बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।

पंप स्टोरेज परियोजना प्रणाली में ऑफ-पीक समय के दौरान कम लागत वाली बिजली का उपयोग करके नीचे स्थित जलाशयों से ऊंचाई वाले जलाशय में पानी पंप किया जाता है। बिजली की मांग बढ़ने के साथ-साथ संग्रहित पानी से टर्बाइनों के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं पर काम पहले से ही चल रहा है। इसके लिए दो अलग-अलग पावर हाउस स्थापित किए गए हैं, जिसमें से एक पावर हाउस नियमित बिजली उत्पादन के लिए और दूसरा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पीएसपी प्रणाली के लिए समर्पित है। रेणुका जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 40 मेगावाट होगी, जबकि थाना प्लौन जल विद्युत परियोजना 191 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी, जिसमें पीएसपी सिस्टम के लिए अलग से टर्बाइन लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती नीति, 2021 पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास को प्राथमिकता प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत चिन्हित की गई पीएसपी के लिए प्रस्ताव, पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ, हर छह महीने में आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के ये प्रयास हाइड्रो परियोजनाओं के माध्यम से राजस्व बढ़ाने और हिमाचल प्रदेश को एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

सतलुज जल विद्युत निगम ने 2,570 मेगावाट की कुल क्षमता वाली चार पंप स्टोरेज परियोजनाओं की पहचान की है। भाखड़ा बांध प्रबन्धन बोर्ड ने 13,103 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली आठ परियोजनाओं, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने 2,400 मेगावाट की कुल क्षमता वाली दो परियोजनाओं, निजी क्षेत्र में 2,074 मेगावाट क्षमता की सात परियोजनाओं की और हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने राज्य में 1,900 मेगावाट की संभावित क्षमता वाली दो परियोजनाओं की पहचान की है।

हिमाचल में जल क्रीड़ा गतिविधियों को दिया जा रहा व्यापक प्रोत्साहन: मुख्यमंत्री

जल आधारित गतिविधियों में हिमाचल देश के अग्रणी केन्द्र के रूप में उभर रहा है

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में जल क्रीड़ा गतिविधियों को बहुआयामी तरीके से विस्तार प्रदान कर रही है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य के जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। जल क्रीड़ा आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के सरकार के इस प्रयास से हिमाचल प्रदेश देशी-विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुविधा सम्पन्न पर्यटकों को बेहतर हवाई सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिला ऊना में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवत: इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा। इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य से नवाजा है और प्रदेश में मानव निर्मित और प्राकृतिक जल संसाधन प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। प्रदेश की ये विशेषताएं हिमाचल को पर्यटकों के लिए आदर्श गंतव्य बनाती है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रदेश के लोगों को इसके माध्यम से आर्थिक रूप से सम्बल बनाने के लिए प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है। पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि पौंग बांध में साहसिक खेल गतिविधियों को शुरू करने का उद्देश्य कांगड़ा जिला में पर्यटकों की आमद में बढोतरी करना है।

सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की हैं और इन पहलों के फलस्वरूप इस वर्ष में लगभग दो करोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद है। पर्यटन क्षेत्र राज्य के युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा यह क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटकों के यात्रा अनुभव को अविस्मरणीय बनाने के लिए पर्यटन अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

भोजन की बर्बादी को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर दिया बल

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत खाद्य हानि और बर्बादी के बारे में जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।

खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश शर्मा ने छात्रों का स्वागत किया और इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विश्व स्तर पर उत्पादित भोजन का लगभग 14% फसल और खुदरा बिक्री के बीच, अक्सर उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है।

इस अवसर पर मुख्य भाषण आईसीएआर एमेरिटस प्रोफेसर डॉ. पीसी द्वारा दिया गया। डॉ. शर्मा ने कृषि फसलों और वस्तुओं में फसल कटाई के बाद के नुकसान: रोकथाम और प्रबंधन रणनीतियाँ पर चर्चा की। डॉ. शर्मा ने संयुद्र राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 12.3 पर जोर देते हुए भोजन की हानि और बर्बादी को कम करने के वैश्विक और राष्ट्रीय महत्व पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा की, जिसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक खाद्य बर्बादी को आधा करना है।

भारत में फसल कटाई के बाद का नुकसान 2010 में 18% से कम होकर 2022 में लगभग 15% हो गया है लेकिन विशेषज्ञों ने 2030 तक इन नुकसानों को एकल अंकों में और कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

अनुसंधान निदेशक डॉ. संजीव चौहान ने सभी से खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ाने के लिए सामाजिक समारोहों के दौरान भोजन की बर्बादी को कम करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने शून्य भुखमरी के लक्ष्य को प्राप्त करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ठोस प्रयासों का आहवान किया। चर्चा के दौरान भोजन की बर्बादी को कम करने के बहुमुखी लाभों को रेखांकित किया, जिसमें बेहतर खाद्य सुरक्षा, कम उत्पादन लागत और खाद्य प्रणालियों में दक्षता में वृद्धि शामिल है, जो सभी पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं।

चिंताजनक बात यह है कि हर साल वैश्विक स्तर पर लगभग 1.3 बिलियन टन भोजन नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है, जो वैश्विक खाद्य उत्पादन के लगभग एक-तिहाई के बराबर है। इस बर्बादी की सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित आर्थिक लागत होती है और यह वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 8-10% है, जो जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त, इस बर्बाद भोजन का उत्पादन करने के लिए बहुत सारे संसाधनों का उपयोग किया जाता है जैसे कि दुनिया के ताजे पानी का 25% और कृषि भूमि का 30%। लैंडफिल में भोजन के अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक हानिकारक गैस है।

छात्रों के बीच सकारात्मक संबंधों को दें बढ़ावा:प्रोफेसर चंदेल

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में रैगिंग की सामाजिक बुराई के बारे में जागरूकता और एक समावेशी माहौल को बढ़ावा देने के लिए, विश्वविद्यालय के तीन घटक कॉलेजों की एंटी-रैगिंग समितियों के साथ बैठक का आयोजन किया। इन चर्चाओं में मुख्य परिसर में बागवानी कॉलेज और वानिकी कॉलेज के साथ-साथ थुनाग में बागवानी और वानिकी कॉलेज के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठकों की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने की और इसमें छात्र प्रतिनिधि, डीन और संकाय सदस्य शामिल हुए।

प्रोफेसर चंदेल ने सभी परिसरों में सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच सकारात्मक संबंध बनाए रखने में एंटी रैगिंग समितियों विशेषकर छात्र सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सहायक शैक्षणिक माहौल को बढ़ावा देने और समग्र व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सभी वर्गों के छात्रों के बीच बातचीत महत्वपूर्ण है।

रैगिंग से जुड़े प्रलेखित मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने समिति के सदस्यों और विश्वविद्यालय समुदाय से सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने समितियों को छात्रों के बीच संबंधों को सुविधाजनक बनाने, नए छात्रों को विश्वसनियता च औंदे तां तेरी जीभ कटी दिंगेवविद्यालय जीवन में ढलने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। नए और पुराने छात्रों के बीच सद्भावना और सकारात्मक बातचीत बढ़ाने के सुझावों पर सक्रिय रूप से चर्चा की गई। साथ-साथ समग्र शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने, रैगिंग और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने की पहल पर भी चर्चा की गई।

इन बैठकों में तीनों महाविद्यालयों के डीन, रजिस्ट्रार, पुलिस विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले 15.70 फीसदी ज्यादा हुआ ट्राउट मछली का उत्पादन:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ट्राउट मछली के उत्पादन में गत वर्ष के मुकाबले 15.70 फीसदी वृद्धि दर्ज हुई है और प्रदेश में ट्राउट का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2022-23 में ट्राउट मछली का उत्पादन 1170.50 मीट्रिक टन था जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1388 मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर गया है। वहीं, वर्ष 2021-22 में ट्राउट मछली का उत्पादन 913.50 मीट्रिक टन रहा था।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हजारों परिवार अपनी अजीविका के लिए मछली पालन पर निर्भर हैं, इसलिए राज्य सरकार प्रदेश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाने जा रही है ताकि मछुआरों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। उन्होंने ट्राउट के उत्पादन में वृद्धि का श्रेय मछुआरों और सरकार के संयुक्त प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि ट्राउट के उत्पादन में वृद्धि मछुआरों के कठोर परिश्रम और सरकार की सहायक नीतियों का सार्थक परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में नौ ट्राउट मत्स्यशालाएं (हैचरी) और निजी क्षेत्र में छह ट्राउट मत्स्यशालाएं चल रही हैं जोकि मछली पालकों को बीज उपलब्ध करवा रही हैं। इसके अलावा मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालकों को ट्राउट पालन के लिए आधुनिक तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण भी मुहैया करवाया जा रहा है। शिमला जिले के दूर-दराज क्षेत्र डोडरा क्वार में पहली बार लोगों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सिरमौर, शिमला, चंबा, किन्नौर और कुल्लू जिले में भी इस तरह के प्रशिक्षण शिविर लगाए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू और मंडी जिले में ट्राउट पालन व्यवसायिक स्तर पर पहुंच गया है। चंडीगढ़ और दिल्ली के पांच सितारा होटलों में ट्राउट की भारी मांग है। ट्राउट पालन की बढ़ती प्रसिद्धि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी नये आयाम दे रही है। उन्होंने कहा कि उन्नत कृषि तकनीक और बाजार में बढ़ती मांग के साथ ट्राउट उत्पादन में और अधिक वृद्धि की संभावना है जिससे किसानों और राज्य को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्राउट पालन के लिए हिमाचल प्रदेश का शीतल और ऑक्सीजनयुक्त पानी उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल ट्राउट पालन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है और अब देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है। ट्राउट पालन आज प्रदेश के हजारों किसानों के लिए आय का एक उपयुक्त साधन बन गया है और इससे राज्य की ग्रामीण आर्थिकी को बल मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मछुआरों को उच्च गुणवत्ता वाले ट्राउट ब्रूड स्टॉक और रेनबो ट्राउट बीज प्रदान करने के लिए जिला कुल्लू के पतलीकूहल में ट्राउट ब्रूड बैंक स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। यह कदम राज्य में ट्राउट उत्पादन को बढ़ाने के अलावा ट्राउट पालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में न्यायमूर्ति राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति वारंट पढ़ा।

लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन, पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा, हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.एस. राणा, राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परिजन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर

न्यायमूर्ति राजीव शकधर का जन्म 19 अक्तूबर, 1962 को हुआ। उन्होंने बी.कॉम. अनर्स, सी.ए., एल.एल.बी. की शिक्षा ग्रहण की और 19 नवंबर, 1987 को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। सिविल और कार्पोरेट मामलों के विशेषज्ञ न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने सिविल, संवैधानिक, कराधान, श्रम, कंपनी, सेवा मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत की। उन्हें 11 अप्रैल, 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और 17 अक्तूबर, 2011 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 11 अप्रैल, 2016 को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया तथा पुन: 15 जनवरी, 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया।.

शहरी विकास मंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन में भाग लिया

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में प्रजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2024 में बतौर मुख्यातिथि और पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर शहरी शासन सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच में सुधार होगा।

मंत्री ने प्रजा फाउंडेशन को यह भी आश्वासन दिया कि विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों द्वारा की गई अच्छी पहलों का विभाग

सूचकांक 2024 भी लॉन्च किया गया।

रीइमेंजनिंग म्यूंसिपल गवर्नेंस विषय पर चर्चा के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लगभग दस प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है और राज्य सरकार आगामी समय में उन्हें जीवंत और विकसित शहरी केंद्रों के रूप में बदलने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला और शिमला स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन एनयूडीएम के तहत अर्बन प्लेटफॉर्म फॉर डिलिवरी ऑफ ऑलाइन गवनेंस उपयोग को लागू करने की पहल की है। इस पहल का उद्देश्य व्यापक राज्यव्यापी सेवा वितरण के माध्यम से एकीकृत समग्र समाधान प्रदान कर नगरपालिका सार्वजनिक सेवाओं के नागरिक अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि इससे सभी 60 शहरी स्थानीय निकायों में एक राज्य एक पोर्टल के अन्तर्गत एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाओं और सूचनाओं की श्रृंखला उपलब्ध होगी जिससे सरकारी अध्ययन करेगा और राज्य में एक मजबूत शहरी शासन तंत्र बनाने के लिए मार्गदर्शन लेगा।

उन्होंने शहरीकरण के लिए राज्य में अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क और रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता को भी रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य में सड़कों के जाल को बिछाया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन की दिशा में की जा रही अभिनव के पहल के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया।

मिनिस्टर ऑफ लोकल सेल्फ गर्वमेंट केरल एम.बी. राजेश, संस्थापक एवं महासचिव फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जय प्रकाश नारायण ने भी नगर प्रशासन को सुदृढ़ करने के बारे अपने विचार प्रस्तुत किए।

प्रजा फाउंडेशन के संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी निताई मेहता ने पैनलिस्टों का स्वागत किया और सम्मेलन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। संबंधित मंत्रालयों, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नेम प्लेट सहित अन्य सुझावों पर विचार करेगी सरकार

प्रदेश मंत्रिमण्डल करेगा स्ट्रीट वेंडर्स नीति के प्रस्तावों का गहन मूल्यांकन

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रक्ता ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स नीति के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस मामले के हर पहलू पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार ने विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकानों पर नेम प्लेट या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस सन्दर्भ में निर्णय लेने से पूर्व सभी सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि इस संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कांग्रेस और भाजपा विधायकों की एक समिति का गठन किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री अनिरूद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सती, रणधीर शर्मा और हरीश जनारथा इस समिति के सदस्य हैं।

समिति इस मामले में प्रदेश सरकार को अपनी सिफारिशें देने से पूर्व विभिन्न हितधारकों के सुझावों की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा इन सिफारिशों का गहनता से मूल्यांकन करने के उपरांत ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

जीभ कैंसर से पीड़ित का फोर्टिस मोहाली में सफलतापूर्वक इलाज

शिमला। फोर्टिस अस्पताल मोहाली के हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग ने एक जटिल जीभ पुनर्निर्माण सर्जरी के माध्यम से

(स्टेज 2) दुर्लभ जीभ कैंसर से पीड़ित 40 वर्षीय रोगी का सफलतापूर्वक इलाज किया। डॉ. कुलदीप ठाकुर, कंसल्टेंट, हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, मोहाली के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने गर्दन के डिसेक्शन और रि कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ जीभ और मसूड़ों का पार्शियल रिसेक्शन किया।

मरीज पिछले 10 महीनों से जीभ के एक तरफ के घाव से पीड़ित था जो ठीक नहीं हो रहा था। उन्हें बोलने में दिक्कत के साथ-साथ खाना चबाने में भी परेशानी हो रही थी। लक्षण और भी बदतर हो गये और जीभ पर एक नुकीला दांत गड़ गया। मरीज ने फोर्टिस अस्पताल मोहाली में डॉ. कुलदीप ठाकुर से संपर्क किया, जहां जीभ और गर्दन की एमआरआई से स्टेज 2 जीभ कैंसर की पुष्टि हुई, जो आस-पास के मसूड़ों को भी प्रभावित कर रहा था। व्यापक चिकित्सा जांच के बाद, रोगी की गर्दन का डिससेक्शन और रिकंस्ट्रक्शन के साथ-साथ आंशिक जीभ और मसूड़े की सर्जरी की गई। आमतौर पर ऐसे मामलों में, कैंसर सर्जन सर्जरी के बाद बोलने और निगलने में कठिनाई की आशंका जताते हैं। इस मामले में, रोगी को ऐसी किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा और सर्जरी के चार दिन बाद उसे छुट्टी दे दी गई। अब वह पूरी तरह ठीक है और सामान्य जीवन जी रहा है। ।

इस पर चर्चा करते हुए डॉ. ठाकुर ने कहा कि ट्यूमर ने युवा रोगी की जीभ और मसूड़ों को प्रभावित किया था। सर्जरी सफल रही और रोगी बोल और आसानी से खाना खा पा रहा है। वह आज कैंसर मुक्त और स्वस्थ जीवन जी रहा है।

डॉ. कुलदीप ठाकुर ने बताया कि उन्होने सिर और गर्दन के कैंसर के सर्जिकल प्रबंधन में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वह अब तक 1,000 से अधिक सफल सर्जरी कर चुके हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

हिमाचल कांग्रेस के नेता गारंटियों के झूठ के कारण हरियाणा चुनाव प्रचार से रहे गायब

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी ब्यान में कहा कि कांग्रेस हिमाचल की तरह

ही हरियाणा को भी झूठी गारंटियों के नाम पर ठगना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस की गारंटियों का झूठ हिमाचल प्रदेश में बेनकाब हो गया है और अब आलम यह है कि हरियाणा समेत देश के लोग कांग्रेस की झूठी गारंटियों को नकार रहे हैं। सबको पता हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल में झूठी गारंटियां देकर सत्ता में तो आ गई लेकिन उसके बाद से हर गारंटी के विपरीत ही काम किया है। हालात बदलने के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस ने ऐसे हालात बदले कि हिमाचल के लोग सड़कों पर आकर कहने लगे है कि हमें पुराने दिन लौटा दीजिए क्योंकि इस तरह की व्यवस्था में जीना मुश्किल हो गया है। हर दिन महंगाई की कोई न कोई मार हिमाचल के लोगों को सुक्खू सरकार दे ही देती है। कभी बिजली महंगी तो कभी पानी महंगा। कभी डीजल महंगा तो कभी बस का किराया महंगा। कभी सीमेंट महंगा तो कभी सरिया, रेता बजरी महंगी। घर बनाने से लेकर दवाई, इलाज, खाना पीना सब कुछ सुखु सरकार ने टैक्स का बोझ लादकर महंगा कर दिया है। कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के कारण ही अब हिमाचल सरकार के नेताओं को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल करने के बाद भी जम्मूकश्मीर और हरियाणा के चुनाव प्रचार से दूर रखा गया

जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस दिन हरियाणा में कांग्रेस के नेता घर देने की गारंटी दे रहे थे उस दिन हिमाचल में घरों के नक्शे स्वीकृत करने की कीमतों में पाँच से आठ गुना तक वृद्धि का आदेश दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री ने हिमाचल को एक लाख दस हज़ार प्रधानमंत्री आवास पिछले एक साल में दिए हैं लेकिन सुक्खू सरकार इसमें भी अवसर देख रही है। प्रदेश में सत्ता में आने के बाद से ही सरकार ने सीमेंट के दाम में 120 रुपए प्रति बैग की वृद्धि कर दी है। रेता-बजरी के दाम अलग बढ़ा दिए हैं। ऐसे में क्या हर परिवार के पक्के मकान का सपना साकार हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी की हिमाचल में सरकार आने के बाद से ही हिमाचल में लोगों को कोई न कोई ज़ख्म मिल रहा है दवा नहीं। सरकार की ज्यादती का आलम यह है कि लोगों को मिल रहे पांच लाख के नि:शुल्क हिमकेयर का इलाज भी निजी अस्पतालों में सरकारी आदेश से बंद हो गया है और सरकारी अस्पतालों में सरकार की उपेक्षा से जिन्हें ऑपरेशन की डेट मिल गई थी, उन्हें भी ऑपरेशन न करने से मना कर दिया गया।

जयराम ठाकुर ने कहा कि जब चुनाव सिर पर हों तो जनता को ठगने के लिए किसी भी स्तर पर जाकर झूठ बोला जा सकता है यह कांग्रेस की फेक गारंटियों से साबित हो गया। कई टोली में कांग्रेस के नेता आते हैं और तरह-तरह के झूठ बोलते हैं। पहले कुछ नेता आयेंगे और लोगों को झूठे सब्जबाग दिखायेंगे, फिर दूसरे नेताओं और कथित ज्ञानियों की टीम आएगी और बड़े विश्वास के साथ बताएगी कि गारंटियाँ पूरा करने के किए धन की कोई कमी नहीं हैं, हमारे अंतराष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्रियों ने सब गुणा-गणित कर ली है। पैसे का सारा प्रबंध हो गया है। बस सत्ता में आते ही हम बांटना शुरू कर देंगे आप हम पर भरोसा रखिए। चुनाव के बाद जब प्रदेश के लोग सरकार की तानाशाही और नाकामी के कारण भुगत रहे होंगे तब न कोई नेता हिमाचल आएगा और न ही कोई विशेषज्ञ अर्थशास्त्री। जो बड़े नेता आएंगे वह कड़ी सुरक्षा में सैर-सपाटा करेंगे और चले जाएंगे, हिमाचल के लोगों से तो छोड़िए हिमाचल के बड़े-बड़े नेताओं से भी नहीं मिलेंगे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के झूठ के दिन अब लद गए। आधुनिक तकनीकी के दौड़ में हिमाचल का झूठ हरियाणा में बेचनें की कोशिश करना हास्यास्पद है। कांग्रेस इस बार हरियाणा के लोगों को धोखा देना चाह रही है लेकिन एक झूठ बार बार नहीं बेचा जा सकता। आम जनता तो छोड़िए कांग्रेस के नेता ही अब कांग्रेस की गारंटियों पर भरोसा नहीं करते हैं।

यदि 35 मेगावाट का प्रोजेक्ट 144 करोड़ में तो 32 मेगावाट का 220 करोड़ में क्यों लगा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में अब एक और बड़ा घोटाला सामने आया है-ग्रीन एनर्जी घोटाला। इस घोटाले के तार हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से जुड़े हुये हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता विक्रम ठाकुर ने इस घोटाले के बारे में खुलासा किया है। ठाकुर ने बताया कि इस मुद्दे पर कई 'लेटर बम' पहले भी सामने आये हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कारवाई नहीं हुई है।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अप्रैल 2024 को ऊना जिले के पेखुवेला में 32 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया था, जिसकी कुल लागत 220 करोड़ रुपये बताई गई थी। विक्रम ठाकुर ने इसे लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, इसी तरह का 35 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट गुजरात में मात्र 144 करोड़ रुपये में पूरा हो गया, जबकि हिमाचल में 3 मेगावाट कम का प्रोजेक्ट 76 करोड़ रुपये अधिक में लगाया गया। यह भारी अन्तर दर्शाता है कि इस प्रोजेक्ट में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं।

विक्रम ठाकुर ने कहा कि

पेखुवेला प्लांट को गलत साइट पर लगाया गया, जिसके कारण भारी बारिश के बाद से यह प्लांट केवल 50% क्षमता पर ही चल पा रहा है। इतना ही नहीं, प्लांट की ऑपरेशन और मेंटेनेंस की अवधि 8 वर्षो की रखी गई है, जबकि गुजरात के प्रोजेक्ट में यही सेवा 10 वर्षो के लिए दी जा रही है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि प्रोजेक्ट में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हुई हैं।

विक्रम ठाकुर ने बताया कि सरकार ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक से 500 करोड़ रुपये का लोन लिया था, जिससे 5 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स लगाये जा सकते थे। लेकिन, यह पूरी राशि केवल ऊना के एक ही प्रोजेक्ट में लगा दी गई, जो वित्तीय दुरुपयोग का स्पष्ट संकेत है।

पेखुवेला प्लांट की प्रति मेगावाट लागत 6.84 करोड़ रुपये आई है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बेहद ज्यादा है। जबकि अन्य राज्यों में सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट 4.11 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट में पूरा होता है। हिमाचल प्रदेश में यह प्रोजेक्ट सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है।

चंबा जिले के पांच हाइडल प्रोजेक्ट्स में देरी के कारण वर्ल्ड बैंक ने राज्य पर 5 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है। ठाकुर ने कहा कि एक अधिकारी ने जानबूझकर पावर परचेज एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसके अलावा, देवीकोठी, हेल, साईकोठी और साईकोठी-2 जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिससे राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है।

ठाकुर ने कांगड़ा एयरपोर्ट को लेकर भी सरकार की आलोचना की और कहा कि सरकार केवल दिखावा कर रही है और कांगड़ा की अनदेखी हो रही है।